न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 123 / 2024

सोनाराम पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल निवासी खलारी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय

निर्णय दिनांक :— 26.06.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गोदू का बास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 110 के वर्तमान खसरा नम्बर 38 रकबा 1.11 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि वादी की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है।वाद पत्र मे वर्णित भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारीयों की गलती द भूल से वादी का नाम सोनाराम पुत्र टीकूराम की जगह सोनाराम पुत्र मांडूराम दर्ज हो गया जबकि वादी के पिता का सही नाम सोनाराम पुत्र टीकूराम है इसलिए वाद पत्र कीधारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादी को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का सोनाराम पुत्र टीकूराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।वादी ने अपनी भूमि में केसीसी लेने के लिए दिनांक 20/09/2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो यादी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए वाद पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की घोषणा के आदेश प्रदान करें। वादी अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है। वाद कारण दिनांक 20/09/2024 को वादी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। अत आदेश निम्न प्रकार फरमाया जावें कि(क) यह कि वाके ग्राम गोदू का बास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 110 के वर्तमान खसरा नम्बर 38 रकबा 111 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे वादी के पिता का नाम को दुरूस्त करते हुवे सोनाराम पुत्र मांडूराम की जगह सोनाराम पुत्र टीकूराम की नाम की संशोधन की घोषणा की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम गोदु का बास के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 11 में वादी के पिता नाम मांडूराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर वादी के पिता का नाम टीकुराम है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम गोदु का बास के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 110 में वादी के पिता का नाम मांडूराम दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता

का वास्तविक नाम टीकूराम है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम गोदू का बास के खाता संख्या 110 में दर्ज वादी सोनाराम पुत्र माडूराम स्थान पर सोनाराम पुत्र टीकूराम कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील बाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा